न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर

मुकदमा संख्या 81/18 विविध

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस त्रिशुल समर्थेश्वर मंदिर के पीछे, इलीस ब्रीज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाऊस बोम्बे डाइंग मिल्स कमपाऊण्ड पान्डुरंग बुद्धकर मार्ग वर्ली मुम्बई–400025 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

–प्रार्थी

: ब ना म :

1. श्री उस्मान गनी पुत्र मोहम्मद यूनूस निवासी मुक्ता प्रसाद नगर रोड नेशनल स्टील कॉर्पोशन सरवोदय बस्ती, बीकानेर–334001
2. शेहनाज पत्नि उस्मान गनी निवासी मुक्ता प्रसाद नगर रोड नेशनल स्टील कॉर्पोशन सरवोदय बस्ती, बीकानेर–334001

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरस्ट एक्ट,2002

उपस्थितिः–

1 प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री बजरंग जाट उपस्थित।
2 अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री गौतम गिरी उपस्थित।

: आ दे श :

दिनांक 14.05.2019

1. प्रार्थी **बैंक** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं उनके अधिवक्ता के कथनानुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी **बैंक** द्वारा **अप्रार्थी/ऋणी** को ऋण सुविधा के तौर पर **दिनांक 28.07.2016 को रूपये 49,31,841/–, की राशि** उपलब्ध करवाई थी एवं उक्त ऋण की एवज में **अप्रार्थी/ऋणी द्वारा शॉप नं. एस –20 व 21 एस.जी.सी. करणी इंडिस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर तादादी 144 वर्ग फीट** को प्रार्थी **बैंक** के हक में उक्त ऋण के पेटे साम्यिक बंधक रखा गया था। **अप्रार्थी** द्वारा **प्रार्थी/बैंक** के साथ हुए अनुबंध के नियमानुसार ऋण राशि नहीं चुकाये जाने पर **अप्रार्थी/ऋणी** के खाते को दिनांक **8.10.17** को **एन.पी.ए.** धोषित कर दिया गया व **अप्रार्थी/ऋणी** के खाते में **रूपये 50,30,936/– दिनांक 23.10.17 तक** ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे **बैंक** के विरूद्ध बकाया निकलते है। **अप्रार्थी/ऋणी** के ऋण खाते को **एन.पी.ए.** धोषित हो जाने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी **बैंक** द्वारा **अप्रार्थी/ऋणी/जमानती** को दिनांक **25.10.17** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु इसके पश्चात् माननीय न्यायालय में दायर इस प्रार्थना–पत्र की दिनांक तक अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व ना ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी **बैंक** को दिया गया। प्रार्थी **बैंक** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया गया है कि **अप्रार्थी/ऋणी/जमानती** द्वारा प्रार्थी **बैंक** के हक में बंधक रखी गई सम्पति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी **बैंक** को दिलाया जावे। प्रार्थी **बैंक** द्वारा इस प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी **बैंक** के इस प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीपक्ष को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner

3. **प्रार्थी/ बैंक** के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी **बैंक** द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद अप्रार्थीगण/ऋणी बकाया राशि चुकाने में विफल रहे है। इस पर अप्रार्थीगण/ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी बकाया राशि प्रार्थी **बैंक** के यहां जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. वकील अप्रार्थी की बहस है कि बैंक द्वारा एनपीए गलत ढंग से किया गया हे। एनपीए तथा राशि की गणना सही नहीं की गई है। अप्रार्थी ऋण राशि भरने को तत्पर है, वर्तमान में अप्रार्थी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, काम धंधा बहुत मंदा है। वकील अप्रार्थी की यह भी बहस है कि उसकी आर्थिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए ऋण राशि जमा करवाने हेतु 30 दिन का समय प्रदान किया जावे ताकि नियत 30 दिवस की समायावधि में वह ऋण राशि जमा करवा सके।

5. हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा प्रार्थी **बैंक** के यहां से **ऋण** के रूप में उपर्युक्त ऋण सुविधा प्राप्त की थी। प्राप्त ऋण सुविधा की एवज में अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा पैरा संख्या 1 में उल्लेखित सम्पति साम्यिक बंधक रखी गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बकाया सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है। बकाया राशि जमा करवाये जाने के संबंध में प्रार्थी **बैंक** द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण ऋण राशि को अनुबंध के अनुसार वापिस जमा करवाने में विफल रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त ऋण की एवज में पैरा नम्बर 1 में वर्णित सम्पति प्रार्थी **बैंक** के यहां बंधक है को प्रार्थी **कम्पनी** अपने कब्जे में लेने की अधिकारणी है। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थी **बैंक** द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर **अप्रार्थीगण/ऋणी**, प्रार्थी/ **बैंक** के साथ हुए अनुबंध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहे हैं। अतः प्रार्थी/ **बैंक** के प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए **अप्रार्थीगण/ऋणी** व्यतिक्रमी मानते हुए प्रार्थी/ **बैंक** का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरा संख्या 1 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पति का पजेशन प्रार्थी/ **बैंक** को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। न्याय हित में अप्रार्थी की इस्तदुआ स्वीकार करते हुए 30 दिवस का अवसर प्रदान किया जाता है। यह आदेश दिनांक **13.6.2019** तक प्रभावशील नहीं रहेगा। इस अवधि के दौरान अप्रार्थी/ऋणी/गारन्टर अपनी बकाया राशि प्रार्थी बैंक के यहां जमा करवा देते है तो उक्त आदेश स्वतः समाप्त होना माना जायेगा, अगर दिनांक **13.6.2019** तक अप्रार्थी/ऋणी/गारन्टर अपनी बकाया राशि जमा करवाने में विफल रहते है तो उक्त आदेश नियत तिथि के पश्चात् से स्वतः प्रभावशील माना जायेगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी/ **बैंक** के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें। **सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण को देवें।**

7. आदेश आज दिनांक **14.05.19** को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट एव
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner